सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

24/3/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा TDR रिपोर्ट मंगाने का निवेदन किया। TDR रिपोर्ट मंगाने हेतु तहरीर जारी हो पत्रावली दिनांक 29/4/22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

29/4/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 24/5/22 को पेश हो।

24/05/22 पत्रावली आज पेश हुई TDR रिपोर्ट/जवाब अप्राप्त। [illegible] हो आइन्दा पत्रावली दि० 15/06/22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

15/06/22 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 [illegible] शिविर ग्रा.क.वि. [illegible] रतनपुरा पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को [illegible] TDR रिपोर्ट प्राप्त। [illegible] जानकारी [illegible] के [illegible] जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 105/2021

प्रार्थीगण

1. पूनमाराम पुत्र रतनाराम
2. पोकरराम पुत्र रतनाराम
3. मेहराजराम पुत्र खेराजराम
4. शेराराम पुत्र खेराजराम
5. हेमीदेवी पत्नी खेराजराम
6. हरजीराम पुत्र रतनाराम
7. हस्तुदेवी पत्नी अमराराम
   जाति जाट निवासी हीराणी तरणों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15.06.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल भेडाणा के राजस्व ग्राम हीराणी तरडों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 237/1 रकबा 2.0882हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त खसरा संख्या पूर्वमें संयुक्त खातेदारी का था जिसके खसरा नम्बर 237 रकबा 36–07 बीघाका था जिसमें से सभी खातेदारों नेमिलकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्थान सरकार के नाम रकबा 0.0405 बीघा भूमि का समर्पण किया गया, जिसके खसरा नम्बर 237/2 दर्ज किये गये। समर्पित भूमि का राजस्व रेकर्ड में रकबा तो सही दर्शाया गया परन्तु समर्पित भूमि की तरमीम खसरा नम्बर 237/1 के उत्तरी सेढे पर नहीं कर दक्षिणी सेढे पर कर दी गई, इस प्रकार अशुद्ध हुई तरमीम को दुरूस्त करने हेतु उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2021 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये [illegible] वली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 फॉलोअप शिवि[illegible] क्षक मुख्यालय रतनपुरा पेश हुई। प्रार्थीगण मजमेआम उपस्थित हुए [illegible] तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी। विप्रार्थी भूमिधारक तहसील[illegible] गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.06.2022 प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि खसरा नम्बर 237/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर की तरमीम मूल खसरा नम्बर 237 के खातेदार द्वारा भूमि समर्पण करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी